# न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 55/2025
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2025/91

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| चुतरा राम पुत्र वेनाराम, जाति पटेल, निवासी दुदली, तहसील रोहट, जिला पाली वादमित्र डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी | | 1. छोटादेवी पत्नी अमरदास<br>2. तुलसीदास पुत्र मानदास<br>3. नैनदास पुत्र मानदास<br>4. प्रकाशदास पुत्र अमरदास<br>5. प्रमोददास पुत्र अमरदास<br>6. भगवानदास पुत्र बंशीलाल<br>7. भेरूदास पुत्र रूपदास<br>8. भंवरदास पुत्र पुनमदास<br>9. रूगनाथदास पुत्र मानदास<br>10. लादूदास पुत्र पुनमदास<br>11. अचलदास पुत्र पुनमदास<br>जातिगण साद, निवासीगण दुदली, तहसील रोहट<br>12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली |

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश राम पटेल
अप्रार्थी संख्या 01, अप्रार्थी संख्या 04 से अप्रार्थी संख्या 08, अप्रार्थी संख्या 10 व अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा

–: निर्णय :–

**दिनांक :– 21.04.2026**

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम दूदली तहसील रोहट के वर्तमान खसरा संख्या 168 व खसरा संख्या 83 रकबा 117 बीघा 06 बिस्वा भूमि जो डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी की भूमि को एकीकरण के पश्चात जमाबन्दी में गलत इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई, जिसे निरस्त कर पुनः डोली भूमि में दर्ज कराने बाबत् पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री प्रकाश पटेल व अप्रार्थी संख्या 01, अप्रार्थी संख्या 04 से अप्रार्थी संख्या 08, अप्रार्थी संख्या 10 व अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, तरूण उपाध्याय वक्त बहस उपस्थित। शेष

जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील होने के बावजूद न्यायालय समय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम दूदली तहसील रोहट जिला पाली का मूल निवासी है तथा डोली मन्दिर ठाकुरजी की भूमि के वादमित्र के रूप में प्रार्थी द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक हित है न कि व्यक्तिगत। ग्राम दूदली तहसील रोहट जिला पाली में कृषि भूमि खसरा संख्या 168 व खसरा संख्या 83 रकबा 117 बीघा 06 बिस्वा भूमि जो प्रारम्भ से ही डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी वाके देह एहतमाम पुजारी मानदास पुत्र चेतनदास, चतुरदास पुत्र गोविन्ददास, बंशीलाल पुत्र मगनीराम कौम साद, सकिन देह जो ठाकुर जी की खुदकाश्त की भूमि थी जो कि मिसल बन्दोबस्त से स्पष्ट होता है। उपरोक्त खसरान् की भूमि ठाकुरजी के मन्दिर की डोली की है तथा ठाकुरजी शाश्वत नाबालिग है उनकी भूमि में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान को कभी कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त हो ही नहीं सकते है। संवंत् 2017 में भूमि एकीकरण के समय उक्त डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी वाके देह एहतमाम पुजारी मानदास पुत्र चेतनदास, चुतरदास पुत्र गोविन्ददास, बंशीलाल पुत्र मगनीराम, कौम साद साकिन देह की भूमि के खसरा संख्या 178, खसरा संख्या 175, खसरा संख्याा 385, खसरा संख्या 174, खसरा संख्या 180 व खसरा संख्या 10 रकबा 117 बीघा 06 बिस्वा के स्थान पर नये खसरा संख्या 168 रकबा 63 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 83 रकबा 53 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 117 बीघा 06 बिस्वा रकबा दर्ज किया गया, जो कि भूमि एकीकरण की मिसल बन्दोबस्त से स्पष्ट होता है। एकीकरण की मिसल बन्दोबस्त के पश्चात जमाबन्दी में नाम दर्ज करते ठाकुरजी के मन्दिर की भूमि में पुजारियों के हिस्से दर्ज थे लेकिन उक्त भूमि मन्दिर श्री ठाकुरजी की थी तथा जमाबन्दी में अगला इन्द्राज करते समय अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारी की मिलीभगत से मिसल बन्दोबस्त के इन्द्राज के विरूद्ध उक्त डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी वाके देह एहतमाम पुजारी मानदास, चुतरदास, बंशीलाल कौम साद साकिन देह के स्थान पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में स्वयं की खातेदारी दर्ज कर दी एवं बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी का इन्द्राज विलुप्त करवा कर अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज कर दी गई जो कि उक्त कार्रवाई अपने आप में शून्य है। उक्त डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी वाके देह की भूमि के इन्द्राज के विपरीत किसी अन्य व्यक्ति के नाम खातेदारी इन्द्राज किया गया है तो व इन्द्राज कानूनन कोई अहमियत नही रखता है एवं ऐसा किया जाना अविधिक है तथा ऐसे इन्द्राज से डोली बनाम ठाकुर जी की भूमि के अधिकार समाप्त नही होते है। एक बार जमाबन्दी से डोली भूमि के नाम का इन्द्राज गैर कानूनी तरीके से विलुप्त कर भूमि को आगे अप्रार्थी अब भूमि को बेचान करने में लगे है क्योंकि उक्त भूमि अप्रार्थी के अन्य खसरा के साथ उक्त खसरान् की भूमि भी खातेदारी में दर्ज हो चुकी है तथा खातेदारी में दर्ज होने से डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी उक्त भूमि में खातेदारी अधिकारो का हस्तान्तरण नहीं होता है। ऐसी तमाम कार्यवाही अपने आप में गैर कानूनी व गलत है जिसे निरस्त किया जाकर भूमि पुन डोली बनाम ठाकुरजी मन्दिर साथ में उक्त पुजारी के इन्द्राज को हटाया जाना जरूरी है अन्यथा इन गलत इन्द्राजों के आधार पर राजस्व रेकर्ड का फायदा उठाकर भूमि का आगे बैचान/ हस्तान्तरण करने में लगे है। जो

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

कि डोली बनाम ठाकुर जी मन्दिर के हितो के विरूद्व होगी। अतः ग्राम दूदली तहसील रोहट जिला पाली के वर्तमान खसरा संख्या 168 व खसरा संख्या 83 रकबा 117 बीघा 06 बिस्वा अप्रार्थीगण की खातेदारी से निरस्त कर पुनः डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, अप्रार्थी संख्या 04 से अप्रार्थी संख्या 08, अप्रार्थी संख्या 10 व अप्रार्थी संख्या 11 ने दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन एवं प्राथमिक आपत्ति पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि रेफरेन्स पेश करने का अधिकार सामान्यतः संबंधित भूमिधारी तहसीलदार को ही होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र सी पी सी में प्रावधित नियमों की पालना किये बिना ही प्रस्तुत किया है, जिससे जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावे।

बहस सुनी। श्रवणशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रकरण में यह सुस्पष्ट है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र नामान्तरकरण आदेश के विरूद्व, जिसमें देवस्थान की जमीन को निजी नाम से चले जाने को लेकर प्रस्तुत किया है। रेफरेन्स धारा 82 राजस्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत होता है अर्थात् रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र उन प्रकरणों का होता है जिनमें अपील की मियाद समाप्त हो चुकी हो तथा यह अधिकार सामान्यतया संबंधित भूमिधारक तहसीलदार को होता है। हस्तगत प्रकरण में आवेदक द्वारा जिन तथ्यों को लेकर यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है उसके लिए अपीलाण्ट का Locus stadai भी नहीं बनता है, विशेष रूप जब तब उसके द्वारा नियम 01 आदेश 08 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत नियमों की पालना नहीं की गई है।

लिहाजा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। अपीलाण्ट चाहे तो इस हेतु पृथक से विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते है साथ ही तहसीलदार, रोहट को निर्देशित किया जाता है कि जैर विवादित आराजी अगर रेफरेन्स करने योग्य हो तो आवश्यक अभिलेखों सहित बाद परीक्षण नियमानुसार 02 माह की अवधि में सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत करे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर–ए–इजलास सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर,
पाली
जिला कलक्टर, पाली